

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
(सामान्य न्यायालय)

26/11/2024

वाद सं०— एम०— 43/2024-25

वाद का प्रकार— धारा— 126 भा०ना०सु०सं०

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, डुमरी थाना) —बनाम— बिनोद तिग्गा वगै०
आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०— 82/2024 एवं डुमरी थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 24/2024 दिनांक— 19.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा— 126 भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष 1. बिनोद तिग्गा, पे०— दोयनुस तिग्गा 2. कोरतोलियुस एक्का, पे०— स्व० मार्टिन एक्का 3. अरबिन्द बाड़ा, पे०— स्व० बिनिया बाड़ा, तीनों ग्राम— महुआडीह, थाना— डुमरी, जिला— गुमला। 4. इफ्रिएल लकड़ा, पे०— स्व० खिसतोफा लकड़ा, सा०— रजावल, थाना— डुमरी 5. नवनीत केरकेट्टा, पे०— नजारियुस केरकेट्टा, सा०— रजावल, थाना— डुमरी 6. दुखन लोहरा, पे०— स्व० बिटु लोहरा, सा०— रजावल, थाना— डुमरी 7. उते मियां, पे०— लुकमान मियां, सा०— कपासगुटरा, थाना— डुमरी 8. दानियल उरांव, पे०— स्व० फुलडोर उरांव, सा०— चिरैया, थाना— डुमरी 9. निको टोप्पो, पे०— लेबनुस टोप्पो, सा०— चिरैया, थाना— डुमरी, जिला— गुमला को **विधान सभा निर्वाचन, 2024** में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा निर्धारित राशि का बंध पत्र समर्पित किया गया है। अंकनीय है कि विधान सभा निर्वाचन, 2024 का परिणाम दिनांक— 23.11.2024 को घोषित हो चुका है। जिसके साथ आर्दश आचार संहिता का भी समापन हो गया है। **थाना प्रभारी, डुमरी** से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशाधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।